न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2021/301

1. हुकमीचन्द उम्र 61 वर्ष पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम ढांणी खेमू की, हाल वार्ड नम्बर 18, चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री सुशील कुमार जोशी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 15.06.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि काश्त की भूमि खसरा नम्बर 933 लगायत 936 पुराने खसरा नम्बर है जिसकी खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथ जी ढाणी खेमू की बअहतमाम पुजारी अर्जुन पुत्र गणेशराम एवं कालू, मंगलदास पुत्र हनुतराम कौम ब्राहम्ण साकिन देह दर्ज रिकार्ड है तथा विक्रम सम्वत् 2012–15 की जमाबन्दी में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके बाद मुतवातिर रिकार्ड में इसी प्रकार आगे के रिकार्ड में भी उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी में परदादा एवं दादा व पिता के समय से चली आ रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि हल्का पटवारी ने अपीलार्थी का हाल खसरा नम्बर 122 के कुल रकबा 1.1500 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम में से 0.50 हैक्टयर पर तारबंदी करके अतिक्रमण करने बाबत नोटिस दिया हाल खसरा नम्बर 122 वाके ग्राम खेमू की ढाणी के पुराने खसरा नम्बर 933 मीन है जिसकी खातेदार सम्वत् 2012 से मूतवातिर मौजूदा समय तक मंदिर श्री रघुनाथ जी बअहतमाम पुजारी अर्जुन पुत्र गणेशराम तत्पश्चात् उनके पुत्रान एवं मौजूदा समय में उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि की खातेदारी अपीलार्थी के पिता श्री चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। इस प्रकार विवादित भूमि के किसी भाग पर भी अपीलार्थी का कब्जा बतौर अतिक्रमी नही कहा जा सकता किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थी बुजुर्गान के तथा अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम रिकार्ड मे दर्ज है जिस पर अपीलार्थी ने बकायदा श्रावणी फसल हर वर्ष करते रहे है उसके उपरान्त भी पटवारी हल्का ने तारबन्दी करने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होने आगे कथन किया है कि पटवारी हल्का मौके पर अपीलार्थी एवं अन्य काश्तकारों को परेशान करता रहता है तथा झूठे नोटिस देकर झूठी कार्यवाहियॉ करवाता है। इस तथ्य के बाबत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सबूत प्रस्तुत करना चाहा था परन्तु पीठासीन अधिकारी ने कोई सबूत लेने से इन्कार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

कर दिया बल्कि अपने आदेश दिनांक 04.12.2020 के रोज अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की है जबकि अपीलार्थी मय वकील उपस्थित था। इस प्रकार विधि विरूद्ध आचरण करते हुये विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसकी अपील अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जहॉ पर अपीलार्थी की ओर से बतौर सबूत एवं रिकार्ड व फसल काश्त करने के मौके की फोटो भी पेश किये गये परन्तु अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं रिर्काड पर कोई गौर नही किया तथा ना ही अपना कोई विवेचन दिया केवल गोलमाल शब्दों में परिपत्र क्रमांक राजस्व/ग्रुप–6 प.3 (2)/राज–6/ 2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 का हवाला देकर अपीलार्थी की अपील नामंजूर फरमा दी जो कतई विधि विरूद्ध है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 एवं तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2020 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी ग्राम खेमू की ढाणी द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 10.09.2020 की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर की है तथा मूर्ति नाबालिंग शाश्वत है जिसकी आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी की तारबंदी की गई अथवा नही के सम्बन्ध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नही किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 एवं तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर जिस व्यक्ति द्वारा तारबंदी की गई है वह व्यक्ति मंदिर का पुजारी है अथवा नही, एवं उक्त तारबंदी किसी उद्देश्य से की गई है, के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच की जाकर प्रकरण में पुनः दो माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिवक्ता उभयपक्ष दिनांक 07.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू के समक्ष उपस्थित हो।

15/6/23

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/6/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।